



जीएसटी राजस्व के आंकड़े - 25 सितंबर, 2017 तक

Posted On: 26 SEP 2017 8:45PM by PIB Delhi

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। 29 अगस्त, 2017 की प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया था कि जुलाई, 2017 (29 अगस्त तक) के लिए विभिन्न मदों के तहत कुल मिलाकर 92,283 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व अदा किया गया था। 92,283 करोड़ रुपये के कुल जीएसटी संग्रह में कुल सीजीएसटी राजस्व 14,894 करोड़ रुपये, एसजीएसटी राजस्व 22,722 करोड़ रुपये और आईजीएसटी राजस्व 47,469 करोड़ रुपये का था (जिसमें आयात से प्राप्त आईजीएसटी 20,964 करोड़ रुपये का था), जबकि मुआवजा उपकर 7,198 करोड़ रुपये का था (जिसमें आयात से प्राप्त मुआवजा उपकर 599 करोड़ रुपये का है)। कई करदाताओं ने जुलाई 2017 के लिए रिटर्न देर से दाखिल किए हैं और 31 अगस्त, 2017 की तिथि तक जुलाई के लिए कुल मिलाकर 94,063 करोड़ रुपये का जीएसटी अदा किया गया।

1. अगस्त 2017 के लिए जीएसटी के भुगतान के साथ-साथ जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर, 2017 थी। वैसे करदाताओं की कुल संख्या 68.20 लाख है, जिनके लिए अगस्त, 2017 हेतु मासिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक था। इनमें से 37.63 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न 25 सितंबर, 2017 तक दाखिल किए गए हैं।
2. विभिन्न मदों (25 सितंबर, 2017 तक) के तहत कुल मिलाकर 90,669 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व अदा किया गया। कुल सीजीएसटी राजस्व 14,402 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी राजस्व 21,067 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी राजस्व 47,377 करोड़ रुपये है (जिसके अंतर्गत अगस्त 2017 में आयात से प्राप्त आईजीएसटी 23,180 करोड़ रुपये है) और मुआवजा उपकर 7,823 करोड़ रुपये है (जिसके अंतर्गत अगस्त 2017 में आयात से प्राप्त मुआवजा उपकर 547 करोड़ रुपये है)।
3. उपर्युक्त आंकड़ों में स्पष्ट रूप से उन 10.24 लाख करदाताओं द्वारा अदा किए जाने वाला जीएसटी राजस्व शामिल नहीं है जिन्होंने कंपोजीशन योजना का विकल्प चुना है। इसके अतिरिक्त, अब भी ऐसे कई करदाता हैं, जिन्होंने न तो जुलाई और न ही अगस्त 2017 के लिए अपने रिटर्न दाखिल किए हैं। उपर्युक्त वर्णित आंकड़ों में वृद्धि के बारे में उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

वीके/आरआरएस/एसएस -3940

(Release ID: 1504116) Visitor Counter : 8

